संख्या–734 /XV-2/01(12)/2004

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02

देहरादून, दिनांक 30 मई, 2011:

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में (100 प्रतिशत केन्द्रांश) केन्द्र पुरोनिधानित योजना डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–206/डाटाबेस/2011–12, दिनांक 12–05–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित डाटा बेस सूचना एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं0 34–11(2)/2008– Fy(S), दिनांक 18–06–2010 द्वारा ₹ 4.15 लाख अवमुक्त किया गया था। जिसका शासनादेश सं0 1866/XV.2/1(12)/2004, दिनांक 2–8–2010 द्वारा ₹ 4.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 में मत्स्य विभाग द्वारा ₹ 4.15 लाख के सापेक्ष ₹ 1.21 लाख व्यय कर लिया तथा शेष 2.94 लाख कोषागार में समर्पण कर दिया गया था।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं0 30–2(1)/2008– Fy(S), दिनांक 29–04–2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये पुर्नवैध करने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2011–12 में 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तिकरण योजना में ₹ 2.94 लाख (₹ दो लाख चौरानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना प्रतिमाह 05 तारीख तक शासन को प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाये।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार किया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31–03–2012 तक शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

7. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0104–डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण–42–अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

2–यह आदेश, वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–45(P) /XXVII(4)/2011, दिनांक 25–मई–2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या :734 /XV-2/01(12)2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
3. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।